L/2016/03

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

भाकृअनुप
ICAR

सी.आर.डी.ई. कृषि विज्ञान केन्द्र

सेवनिया, जिला-सीहोर (म.प्र.)

CRIDE

Healthy soils for a healthy life

प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना क्या है ?

प्राकृतिक आपदाओं से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की है। इस योजना से किसानों को कम प्रीमियम देना पड़ेगा । बीमा कंपनियां खरीफ फसलों के लिए जो प्रीमियम रेट तय करेंगी, किसानों को उसमें सिर्फ 2 प्रतिशत देना होगा । रबी फसलों के प्रीमियम रेट का सिर्फ डेढ़ फीसदी किसान देंगे। बागवानी फसलों के मामले मे किसानों को 5 प्रतिशत प्रीमियम देना होगा । बाकी प्रीमियम केन्द्र और राज्य की सरकारें बराबर-बराबर होगा। कम से कम 25 % क्लेम राशि सीधे किसान के बैंक खाते में आएगी। स्कीम जून से शुरू होने वाली खरीफ फसल से लागू होगी।

योजना पर इस वर्ष 17,600 करोड़ रू. खर्च का अनुमान है। केन्द्र ने 8,800 करोड़ रू. मंजूर किए हैं। इतनी ही रकम राज्य सरकारें देंगी। अभी कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा लेना जरूरी है। नई योजना सभी किसानों के लिए होगी। पूरे राज्य में कोई एक ही बीमा कंपनी स्कीम लागू करेगी।

अभी दो फसल बीमा योजना लागू हैं। वर्ष 1999 में लागू राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और 2010 में लागू संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना । पुरानी योजना में प्रीमियम रेट 15 प्रतिशत है, लेकिन ज्यादा जोखिम वाले क्षेत्रों में यह 57 प्रतिशत तक हो जाता है। इसलिए सिर्फ 23 प्रतिशत किसानों ने इसका फायदा लिया।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2 प्रतिशत प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान करेगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पूरी

तरह से किसानों के हित को ध्यान में रख कर बनायी गयी है। इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत कम रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी फसलों को बल्कि व्यवसायिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक व्यवसायिक और बागवानी फसलों के लिए 5 प्रतिशत प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना होगा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के मुख्य तथ्य

- इस योजना को आने वाले खरीफ की फसलों (रबी, खरीफ, व्यवसायिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है।
- खरीफ (धान या चावल, मक्का ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिये 2 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- रबी (गेहूँ, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसल के लिये 1.5 प्रतिशत प्रीमियम का भुगतान किया जायेगा।
- वार्षिक व्यवसायिक और बागवानी फसलों की बीमा के लिये 5 प्रतिशत का भुगतान किया जायेगा।
- सरकारी सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90 प्रतिशत होता है तो ये सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- शेष प्रीमियम बीमा कम्पनियों को सरकार द्वारा दिया जायेगा। ये राज्य तथा केन्द्रीय सरकार में बराबर - बराबर बाँटा जायेगा।

कितना प्रीमियम भरेंगे किसान

अनाज एवं तिलहन फसलों के बीमा के लिए अधिकतम दो प्रतिशत प्रीमियम रखा गया है, बागवानी व कपास की फसलों के लिए अधिकतम पांच प्रतिशत प्रीमियम रखा गया है। रबी के अनाज एवं तिलहन फसलों के लिए डेढ़ प्रतिशत, जबकि खरीफ के अनाज तथा तिलहन के लिए दो प्रतिशत प्रीमियम राशि देनी होगी। कम से कम 25 प्रतिशत क्लेम राशि सीधे किसानों को बैंक खाते में आएगी। शेष राशि भी 90 दिन के भीतर

मिल जायेगी। अभी कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा लेना जरूरी है। नई योजना सभी किसानों के लिए होगी। इतना ही नहीं प्राकृतिक आपदा की वजह से बुवाई न होने पर भी किसानों को बीमा राशि मिलेगी। फसल कटने के 14 दिन तक अगर फसल खेत में है और कोई आपदा आती है तो नुकसान होने पर बीमा का लाभ मिलेगा।

सरकार के फैसले को ऐसे समझिए

बीमा राशि	-	1,00,000 रू.
प्रीमियम रेट	-	10% यानी 10,000 रू.
केन्द्र सरकार देगी	-	4% यानी 4,000 रू.
राज्य सरकार देगी	-	4% यानी 4,000 रू.
किसान को देना होगा	-	2% यानी 2,000 रू.

तैयार फसल की भी भरपाई

नई योजना में फसल तैयार होने के बाद भी नुकसान की भरपाई होगी। अभी तक सरकारी सब्सिडी की ऊपरी सीमा तय होती थी। नुकसान की पूरी भरपाई नहीं होती थी। नई स्कीम में पूरी बीमित राशि दी जाएगी।

स्मार्टफोन का इस्तेमाल

इससे फसल नुकसान की तस्वीर संबंधित अधिकारी को भेजी जाएगी। इससे किसानों को बीमा के पैसे जल्दी मिल सकेंगे।

प्रकाशक

सी.आर.डी.ई. कृषि विज्ञान केन्द्र, सेवनिया, जिला-सीहोर (म.प्र.)

फोन : 07561-281834, ई-मेल : crdekvksehore@gmail.com

Website: www.kvkshehore.nic.in

टोल फ्री नं. 1800 1801551

Valuemax / 8878692777